भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2682

मंगलवार, 04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना

2682. श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के देवास-शाजापुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देश के टियर-II एवं टियर-III क्षेत्रों में विभिन्न उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के औद्योगिक विकास पर पड़े प्रभाव का आकलन किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) मध्य प्रदेश सहित इन क्षेत्रों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निवेश, उत्पादन, निर्यात तथा सृजित रोजगार का क्षेत्र (सेक्टर)-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देवास, शाजापुर के उद्योगों तथा निकटवर्ती औद्योगिक क्लस्टरों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन ढांचे का लाभ प्राप्त हुआ है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास देवास-शाजापुर तथा मध्य प्रदेश के अन्य उभरते जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों में विनिर्माण निवेश आकर्षित करने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करने अथवा वर्तमान प्रोत्साहनों का विस्तार या संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत देवास-शाजापुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के उद्योगों की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित कर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), विनिर्माण, निर्यात तथा आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने, निर्यात बढ़ाने, रोजगार सृजित करने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ भारत के एकीकरण को मजबूत करने के लिए ₹1.91 लाख करोड़ के कुल परिव्यय के साथ प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में 14 उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमों को मंजूरी दी है।

पीएलआई स्कीमों को अखिल भारतीय पहल के रूप में लागू किया जाता है और संबंधित स्कीम के दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित मानदंडों के आधार पर एक पारदर्शी आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से पात्र कंपनियों का चयन किया जाता है। वाणिज्यिक और परिचालन संबंधी बातों को ध्यान में रखते हुए विनिर्माण इकाइयों का स्थान आवेदक कंपनियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। सरकार संबंधित कार्यान्वयन मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से पीएलआई स्कीमों की प्रगति और परिणामों की नियमित रूप से समीक्षा करती है।

(ख): मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित विनिर्माण इकाइयों सहित देशभर में पीएलआई स्कीमों ने महत्वपूर्ण संचयी उपलब्धियां दर्ज की हैं। दिनांक 31.03.2026 तक, पीएलआई स्कीमों के तहत संचयी उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

मानदण्ड	**उपलब्धियां**
निवेश	₹2.40 लाख करोड़ से अधिक
उत्पादन/बिक्री	₹22.66 लाख करोड़ से अधिक
निर्यात	₹15.2 लाख करोड़ से अधिक
रोजगार	14.15 लाख से अधिक (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से)

(ग): पीएलआई स्कीमें देशभर के पात्र विनिर्माताओं के लिए खुली हैं और एक पारदर्शी आवेदन-आधारित प्रक्रिया के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। मध्य प्रदेश राज्य में **पैंतालीस** विनिर्माण इकाइयों को विभिन्न पीएलआई स्कीमों के तहत मंजूरी दी गई है। स्कीम अप्रत्यक्ष रूप से पीएलआई स्कीमों के माध्यम से प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली विनिर्माण इकाइयों के आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं को भी लाभान्वित करती है। विनिर्माण इकाइयों का जिला-वार विवरण मंत्रालय द्वारा नहीं रखा जाता है। मध्य प्रदेश में अनुमोदित विनिर्माण इकाइयों का क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(घ): उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमें अखिल भारतीय स्तर पर लागू की जाती हैं, जिसमें उभरते औद्योगिक क्षेत्रों सहित देशभर के पात्र आवेदक संबंधित स्कीम दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों की पूर्ति के अधीन भाग ले सकते हैं। स्कीमें पात्र कंपनियों को अपने वाणिज्यिक और परिचालन संबंधी अपेक्षाओं के आधार पर चुने गए स्थानों पर विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए अनुमोदित फ्रेमवर्क के भीतर पर्याप्त फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती हैं।

सरकार संबंधित कार्यान्वयन मंत्रालयों/विभागों और उद्योग हितधारकों के परामर्श से पीएलआई स्कीमों के कार्यान्वयन की लगातार समीक्षा करती है। क्षेत्रगत आवश्यकताओं और उभरती जरूरतों के आधार पर, व्यक्तिगत पीएलआई स्कीमों के संशोधन या विस्तार के प्रस्तावों पर निर्धारित अनुमोदन प्रक्रिया के अनुसार सरकार द्वारा विचार किया जाता है।

(ङ): सरकार ने विनिर्माण, निर्यात और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की हैं। पीएलआई स्कीमें पात्र विनिर्माताओं को घरेलू उत्पादन, मूल्य संवर्धन, निर्यात और रणनीतिक क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन प्रदान करती हैं।

इसके अलावा, सरकार ने मेक इन इंडिया, पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति, निर्यात हब के रूप में जिले, स्टार्टअप इंडिया, ईज ऑफ डूइंग सुधार और एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम जैसी पूरक पहलें शुरू की हैं। ये पहलें मध्य प्रदेश सहित देश भर के उद्योगों को अपनी विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने और घरेलू तथा वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भाग लेने के लिए एक सक्षम इकोसिस्टम प्रदान करती हैं। देवास-शाजापुर के पात्र उद्योग भी संबंधित पीएलआई स्कीमों में भाग ले सकते हैं, बशर्ते कि वे लागू स्कीम दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

अनुबंध-I

दिनांक 04.08.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2682 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्रम सं.	**क्षेत्र**	**पीएलआई स्कीमों के तहत मध्य प्रदेश में स्थापित विनिर्माण इकाइयां**
1	आईटी हार्डवेयर 2.0	01
2	थोक औषधियां	02
3	फार्मास्यूटिकल्स औषधि	01
4	खाद्य उत्पाद	10
5	व्हाइट गुड्स	01
6	ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक	06
7	वस्त्र उत्पाद	22
8	विशिष्ट इस्पात	01
9	उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल	01
	कुल	**45**
